31.03.2006 के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना का विवरण

(क)	प्रत्येक प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अनुरोधों की संख्या	48
(ख)	ऐसे निर्णयों की संख्या जिनमें आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों को प्राप्त करने के हकदार नहीं थे, अधिनियम के वे उपबंध जिनके अंतर्गत ये निर्णय किए गए और कितनी बार ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया	(1) 10 आवेदकों को, उनके द्वारा मांगे गए दस्तावेज दिए गए थे। (2) 19 आवेदकों को, उनके द्वारा मांगी गई सूचना/स्थिति दी गई थी। (3) 3 आवंदन अस्वीकृत कर दिए गए थे। (4) 12 आवेदकों से अपेक्षित आवेदन शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था। आवेदकों ने उत्तर नहीं दिया। (5) 4 आवेदन राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को हस्तानांतरित किए गए थे क्योंकि मांगी गई सूचना उनसे संबंधित थी।
(ग)	केन्द्रीय सूचना आयोग को समीक्षा के लिए संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों का स्वरूप और अपीलों के परिणाम	एक आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अंतर्गत केन्द्रीय सूचना आयोग को एक अपील भेजी है। यह अपील आयोग की फाइल में नोटिंग भाग तक न पहुंचने की अस्वीकृति के निर्णय के विरूद्ध थी। इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा निर्णय अभी लिया जाना है।
(घ)	इस अधिनियम के प्रशासन के संदर्भ में किसी अधिकारी के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण	शून्य
(ड.)	इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा संग्रहित प्रभारों की धनराशि	सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियमन) नियम, 2005 के अंतर्गत विहित दरों के अनुसार प्रभार की धनराशि एकत्रित की जा रही है। 30.06.2006 को समाप्त तिमाही के दौरान एकत्रित की गई कुल राशि निम्नानुसार है: 1. आवेदन शुल्क के लिए- 230/- रूपए 2. दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए प्रभार हेतु - 455/- रूपए
(च)	इसकी मूल भावना के अनुरूप कार्रवाई करने और क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाने वाले विवरण	निर्वाचन, निर्वाचन विधि, दिशा-निर्देश, अनुदेश, मैनुअल, सांख्यिकीय रिपोर्ट, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल शपथ-पत्र, निर्वाचन परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां, निर्वाचनों की अधिसूचनाएं इत्यादि से संबंधित अधिकांश सूचना जन साधारण की सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in पर पहले से ही डाली जा चुकी है।
(छ)	सुधार के लिए उपयुक्त सुझाव। सुझाव में वे भी सम्मिलित होंगे जो अधिनियम में संशोधन के लिए साधारण विधि के अन्य विधायन या सूचना के प्रति अभिगम्यता के अधिकार को कार्य-रूप देने से सुसंगत कोई अन्य मामले के विकास, बेहतरी, आधुनिकीकरण, सुधार के लिए अपेक्षित हों।	शून्य